कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 29 / 2023

श्री अजय शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी डीग रोड़ कच्चा तालाब के पास वार्ड नम्बर 01 कुम्हेर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू0अ0) कुम्हेर जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 12.7.2023**

अपीलार्थी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी डीग रोड़ कच्चा तालाब के पास वार्ड नम्बर 01 कुम्हेर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14–3–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्हेर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 403 दिनांक 21.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्हेर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्हेर से जबाब पत्र क्रमांक/भूअ/आरटीआई/23/3923 दिनांक 6.7.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.3.23 के द्वारा तहसीलदार कुम्हेर से दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्हेर ने अपने पत्र जबाब दिनांक 6.7.23 में अंकित किया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत कार्यालय के पत्र क्रमांक/भूअ/आरटीआई/23/3612 दिनांक 19.6.2023 प्रेषित किया गया है। हमने तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को भेजे गये पत्र दिनांक 19.6.23 फोटो प्रति का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्हेर ने

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थी को रिकार्ड का निरीक्षण कर नियमानुसार सूचना की नकल प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आरटीआई में जिन दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई है, चाही गई दोनों सूचनायें प्रश्नवाचक हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना के बावत कोई सम्बन्धित रिकार्ड या कोई सन् सम्वत् अंकित नहीं किये गये हैं। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रार्थी को चाहे गये रिकार्ड सूचना बावत रिकार्ड का निरीक्षण कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी सुचित किया गया है, जिसमें तहसीलदार कुम्हेर ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्दर 15 दिवस कार्य दिवस में तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण कर चिन्हित कर नियमानुसार नकल सूचना प्राप्त करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण प्रार्थी करवायें तथा चिन्हित सूचना को नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्हेर को प्रेषित हो एवं अपीलार्थी को (तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर